प्र हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर
अपील नं. 04/2020 किस्म 225 आर.टी.एक्ट.
बअनवान देवीसिंह वगै. बनाम हुकमसिंह वगै. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

09.03.2021

पीठासीन अधिकारी:— श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थित:— श्री हाकमसिंह भाटी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री धनपतसिंह भाटी अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09.03.2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 52/2013 बअनवान हुकमसिंह बनाम भैरूसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 233 रकबा 24.17 बीघा मौजा बेतीणा में अवस्थित है जिससे लगते विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 232 रकबा 09.04 एवं खसरा संख्या 235 रकबा 41.08 बीघा प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते हैं। उक्त दानों खसरों से मार्ग निकाल कर खसरा संख्या 214 रकबा 05.04 बीघा से जोड़ा जाता है तो वादी अपने खेत से गांव व अन्य स्थानों पर आने जाने की सुविधा रहेगी। प्रार्थीगण के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प यही रास्ता है जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में आदेश दिनांक 14.05.2018 करते समय तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए इसे पारित किया है जिसमें कानूनी व वाक्याती भूल की है, जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार भणियाणा द्वारा पेश मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार भणियाणा ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 233 रकबा 24.17 बीघा ग्राम बेतीणा में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि तहसीलदार भणियाणा द्वारा मौका फर्द दिनांक 14.05.2018 में प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं अंकित किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त अपीलांट की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 232 में रास्ता प्रस्तावित करते हुए अपीलांट की खातेदारी जमीन को खसरा संख्या 235 की तरफ शेष रखते हुए बीच में से रास्ता प्रस्तावित कर अपीलांट की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभाजित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया जाना नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या

52/2013 बअनवान हुकमसिंह बनाम भैरूसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 में संशोधन करते हुए आदेश दिये जाते है कि खसरा संख्या 232 में शेष भूमि के स्थान पर खसरा संख्या 235 के सहारे–सहारे **बह रंग हरा** रकबा 0.02 बीघा संपूर्ण रास्ता खसरा संख्या 232 में रखते हुए रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते है। अपीलाधीन आदेश में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है। परिशिष्ट "क" इस आदेश का अभिन्न अंग होगा तथा इसी अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डी.एल.सी रेट से राशि जमा कर राजस्थान सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामद करने एवं तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भणियाणा पालना करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नक्शा - किश्तवार

मौजा - भेतीणा

तहसील - भीणियाणा

पैमाना - 1" इन्च = 40 गट्ठा

(35)

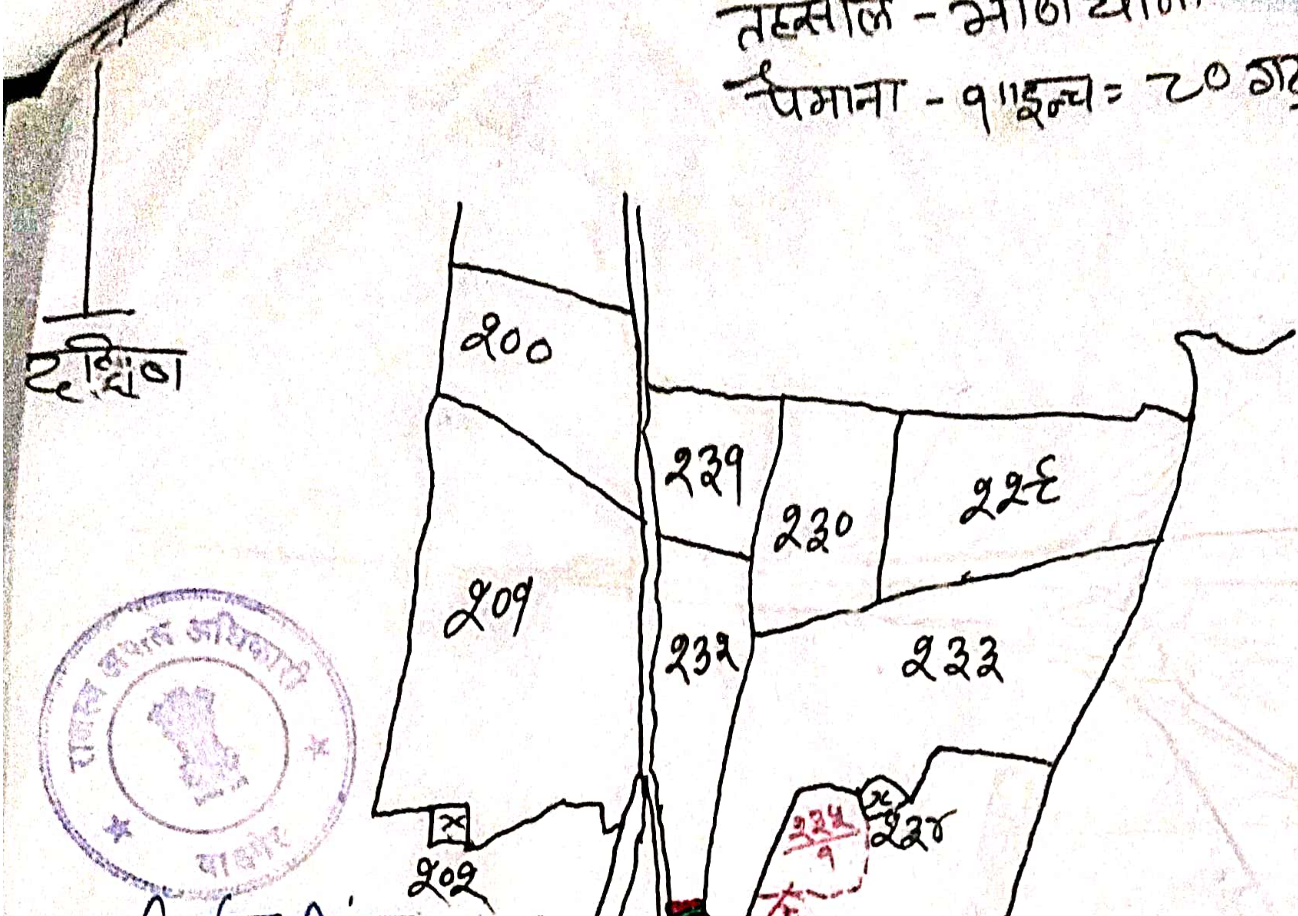

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय दिनांक 09/03/21 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर अपील नं. 04/2020 [illegible] देवीसिंह वगैरह बनाम हुकमसिंह वगैरह निर्णय का अमल में रहेगा।

9.3.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

सत्य-प्रतिलिपि

पटवारी ओमाराम

राजस्व रिकॉर्ड में कि. दुरुस्त की

उपखण्ड अधिकारी भणियाणा